न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम–सह–विशेष न्यायाधीश, सिवान

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–1420/2026

जीरादेई थाना कांड सं0–127/2025 से उत्पन्न

अंतर्गत धारा–30(a), बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम 2022 एवं 20(B)IIA स्वापक औषधि और मन :प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 तथा धारा 317(5) भारतीय न्याय संहिता

(आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा–482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता)

कैलाश प्रसाद..... आवेदक/अभियुक्त

बनाम

बिहार राज्य द्वारा लोक अभियोजक ..... विपक्षी

उपस्थितः–श्री रवि कुमार, विद्वान अधिवक्ता, आवेदक/अभियुक्त की ओर से
श्री अक्षयलाल यादव, विद्वान अपर लोक अभियोजक, विपक्षी की ओर से

आ–दे–श

30.07.2026

आवेदक/अभियुक्त कैलाश प्रसाद की ओर से जीरादेई थाना कांड सं0–127/2025, अंतर्गत धारा–30(a), बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम 2022 एवं धारा 20(B)IIA स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 तथा धारा 317(5) भारतीय न्याय संहिता, के अंतर्गत गिरफ्तारी की आशंका से यह अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत दाखिल किया गया।

अग्रिम जमानत आवेदन संचालित किया गया। आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विपक्षी की ओर से उपस्थित विद्वान अपर लोक अभियोजक की बहस को सुना गया।

संक्षेप में, सूचक परि0 पु0अ0नि0,दिनेश कुमार के द्वारा दिए गए टंकित आवेदन के आधार पर अभियोजन कथानक यह है कि सूचक के द्वारा दिनांक 01.09.2025 को स0अ0नि0 एवं गृह रक्षक के साथ विशेष छापामारी हेतु समय 19:00 बजे सरकारी वाहन से थाना से प्रस्थान किया था। छापामारी के क्रम में जामापूर बाजार में था तभी गुप्त सूचना मिली कि ग्राम भैसाखाल के तरफ से विनीत कुमार सिंह एवं जितेंद्र राम सिवान मोटरसाईकिल से जामापूर बाजार के तरफ आ रहे है और वो अपने मोटरसाईकिल की डिक्की में शराब एवं गांजा रखे हुए हैं। उक्त सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु सूचक अपने साथ आये पदाधिकारी एवं बल के साथ जैसे ही जामापूर एवं भैंसाखाल रोड में चार मुहानी के पास पहुँचा तो देखा कि ग्राम भैसाखाल की तरफ से एक मोटरसाईकिल पर दो व्यक्ति सवार होकर आ रहे हैं जिसे राकने का इशारा किया तो दोनों व्यक्ति मोटरसाईकिल लेकर भागने का प्रयास करने लगे किंतु साथ आये पदाधिकारी एवं बल के सहयोग से मोटरसाईकिल सहित दोनों व्यक्तियों को पकड़ लिया गया। पकड़ाये व्यक्ति से बारी–बारी से उनका नाम पता पूछने पर एक व्यक्ति ने अपना नाम विनीत कुमार सिंह, साकिन वारी गॉव थाना सिकड़ीगंज जिला गोरखपूर उत्तर प्रदेश वर्तमान पता साकिन जामापुर थाना जीरादेई जिला सिवान बताया तथा दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम जीतेंद्र राम साकिन जामापुर थाना जीरादेई जिला सिवान बताया। पुलिस की गतिविधि को देखकर वहॉ पर कुछ ग्रामीण लोग इकट्ठा हो गए, जिन्हें स्वतंत्र साक्षी बनने का अनुरोध किया गया परंतु कोई भी ग्रामीण साक्षी बनने को तैयार नहीं हुए। तब साथ में आये गृह रक्षक राजू प्रसाद

लगातार
30.07.2026

एवं सुनील कुमार श्रीवास्तव को स्वतंत्र साक्षी मानकर उन दोनों के समक्ष तलाशी नियमों का पालन करते हुए पकड़ाए व्यक्तियों के कब्जे से बरामद एक काला एवं लाल रंग का हीरो स्पलेंडर प्लस मोटरसाईकिल जिसका रजि0 नं0 BR 29 AS-5399, चेचिस नं. MBLHW129MHL86413, इंजन नं. HA11EYMHL70337 के डिक्की का तलाशी लिया गया तो उसमें रखा 180 ML का 14 पिस Officers Choice लिखा हुआ उत्तर प्रदेश निर्मित विदेशी शराब जिसका कुल मात्र दो लीटर 520 ML एवं 08 पिस बंटी बबली लिखा उत्तर प्रदेश निर्मित देशी शराब कुल मात्रा एक लीटर 600 ML तथा एक काला रंग के पॉलिथीन में रखा गांजा जैसा पदार्थ बरामद किया गया। इसकी सूचना वरीय पदाधिकारी को देते हुए अंचलाधिकारी जीरादेई को घटनास्थल पर पहुँचने हेतु अनुरोध किया गया तथा बरामद गांजा जैसे पदार्थ को वजन हेतु तराजू मंगाकर पॉलिथीन साहित वजन करने पर कुल वजन 450 ग्राम पाया गया। बरामद गांजा जैसे पदार्थ के संबंध में पूछने पर पकड़ाये व्यक्ति ने बताया कि यह गांजा है जिसे बेचने के लिए ले जा रहा था। जप्त मोटरसाईकिल के संबंध में पकड़ाये व्यक्ति से पूछने पर कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही कोई संतोषजनक जवाब दिया गया। उक्त नम्बर की मोटरसाईकिल एवं बरामद सभी शराब तथा गांजा जैसे पदार्थ का पर्याप्त कृत्रिम रोशनी में विधिवत जप्ती सूची तैयार कर जप्त किया गया। जिस पर दोनों स्वतंत्र साक्षी ने स्वेच्छा से अपना –अपना हस्ताक्षर बना दिया। पकड़ाये व्यक्ति विनीत कुमार सिंह एवं जितेंद्र राम को विधिवत गिरफ्तार किया गया।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष हैं उसने कोई अपराध नहीं किया है, उसे झूठे मुकद्मा में फंसाया गया है। आवेदक/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह निवेदन किया गया कि आवेदक/अभियुक्त की ओर से इस जमानत आवेदन के अलावे अन्य कोई भी नियमित या अग्रिम जमानत आवेदन इस न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी निवेदन किया गया कि आवेदक/अभियुक्त स्वच्छ छवि का व्यक्ति है तथा उसके विरूद्ध अन्य कोई आपराधिक मुकद्मा दर्ज नहीं है। आवेदक/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी निवेदन किया गया कि अभिकथित मामले की प्राथमिकी के अनुसार आवेदक/अभियुक्त घटनास्थल मौजूद नहीं था तथा उसके पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है तथा उसके विरूद्ध प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। अभियोजन कहानी झूठा, आधारहीन एवं मनगढ़ंत है। आवेदक/अभियुक्त के फरार होने तथा उसके द्वारा अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित करने की कोई संभावना नहीं है। अतः उसकी ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत करने का निवेदन किया गया है।

अभियोजन पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन के विरोध में यह निवेदन किया गया कि प्रस्तुत आपराधिक वाद में आवेदक/अभियुक्त प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है तथा उनके मोटरसाईकिल के डिक्की से चार लीटर, उत्तर प्रदेश निर्मित विदेशी एवं देशी शराब एवं 450 ग्राम गांजा जैसा मादक पदार्थ बरामद होने का गंभीर अभियोग है।

अभियोजन पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन के विरोध में यह निवेदन किया गया कि बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम 2022 की धारा 76(2) के अंतर्गत अग्रिम जमानत पोषणीय नहीं है। अतः उक्त तथ्यों के आलोक में अभियोजन पक्ष की ओर से आवेदक/अभियुक्त

लगातार
30.07.2026

के द्वारा दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज करने का निवेदन किया गया।

उभय पक्षों के निवेदन के आलोक में अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत आपराधिक वाद, जीरादेई थाना कांड सं0–127/2025, अंतर्गत धारा–30(a), बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम 2022 एवं 20(B)IIA स्वापक औषधि और मन :प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 तथा धारा 317(5) भारतीय न्याय संहिता, आवेदक/अभियुक्त प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त है तथा उसके विरूद्ध सह अभियुक्तों के साथ मिलकर मोटरसाईकिल की डिक्की से चार लीटर, उत्तर प्रदेश निर्मित विदेशी एवं देशी शराब तथा 450 ग्राम गांजा जैसा मादक पदार्थ बरामद होने के अपराध के लिए संस्थित किया गया है। आवेदक/अभियुक्त यद्यपि प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त नहीं है, किंतु घटनास्थल से गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से बरामद मोटरसाईकिल रजि0 नं0 BR 29 AS-5399, चेचिस नं. MBLHW129MHL86413, इंजन नं. HA11EYMHL70337 का वह स्वामी है (कांड दैनिकी की कंडिका 39 में वर्णित है)। इस अपराधिक वाद के अनुसंधान के दौरान सूचक सहित अन्य सभी अभियोजन साक्षियों ने अपने साक्ष्य के क्रम में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है(कांड दैनिकी की कंडिका 02, 04, 05 में वर्णित है)। **कांड दैनिकी की कंडिका 49 के अवलोकन से स्पष्ट है कि कथित शराब को जॉच के क्रम में देसी शराब पाया गया है और उसकी सेवन को मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पाया गया है।** अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत आपराधिक वाद के संदर्भ में आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध पूरक अनुसंधान जारी है।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में आवेदक/अभियुक्त कैलाश प्रसाद के द्वारा कारित अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उसकी ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाना न्याय संगत एवं न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है, तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त कैलाश प्रसाद की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को **अस्वीकृत** किया जाता है।

लेखापित
ह0/–
(सुशील कुमार त्रिपाठी)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम सिवान।